

वादाचार्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
67/20	88,188 RTA	केशोली	६५३
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
चन्द्रप्रकाश	बनाम	नारायण उर्फ हरनारायण	

वकील :- R.P. Goyal. Adv. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

16/20	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.12.2020 को पेश हो।	
23/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से दस्तखत नकल पत्रावली सं. 2009 ना(पत्र) 87 गण लाल नकल पत्रावली सं. 2008 एवं नकल पत्रावली सं. 2073 से 2076 पेश की जो. श. नि. की गई। प्रतिवादी गणों की ओर से श्री विनोद भार्गव एडवो. द्वारा अण्डरटेकिंग पेश की है जैसाव हेतु समझ चाहे है वास्ते पत्रावली दिनांक 31/12 को पेश हो।	Consul
30/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी/प्रार्थी की ओर से श्री कृष्ण गोपाल भार्गव एडवोकेट का क्वालर नाम पेश हुआ। जो शा. नि. किया गया। वकील प्रतिवादी जवाब हेतु लफ्त चाहे है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 10/3/21 को पेश हो।	
14/21	पत्रावली पेश हुई। कुलाम् परीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी की ओर से प्रॉपत्र 07 R/1/11 धारा 151 CPC पेश किया जिसमें नकल वकील प्रार्थी को दी गई। वास्ते पत्रावली प्रॉपत्र पत्रावली दिनांक 7/4/21 को पेश हो।	

3/23

फ्लोवली पेश हुई। वस्तु लागू करीकन उपस्थित। प्राप्ति
 -पत्र प्रकाश संकेत उपस्थित। प्राप्ति द्वारा प्रा.पत्र
 039R/1/2A व धारा 751 CPC पेश कर निवेदन किया
 कि वदी एवं प्रतिवदी गण के मध्य आपसी राजीनामा
 हो चुका है। इसलिए वदी / प्रतिवदी इस काद पत्र में
 कोई अग्रिम कार्य नहीं चाहते हैं तथा इसी स्टेज
 पर अपना काद वापिस लेना चाहते हैं। प्रा.पत्र की प्रति
 कमील प्रतिवदी को दी गई। कमील प्रतिवदी द्वारा
 No objection किया गया है। प्रमाण में कार्य वही
 इसी स्टेज पर खारिज / ड्रॉप की जाती है। फ्लोवली
 फाइल नुमां होकर सम्बन्धित दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

उपखण्ड अधिकारी